UPM0010053292023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP02401**

जमानत प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण वाद संख्या–2164/2023

अवधेश कुमार पुत्र स्व 0 रामबहादुर,
निवासी–मौहल्ला सम्भली गेट, शहर व जिला मुरादाबाद ।

..... **प्रार्थी/आवेदक।**

बनाम

1. दीनू कुमार शर्मा उर्फ दीनू पुत्र विजय कुमार शर्मा,
   निवासी–मौलागढ़ तह 0 चन्दौसी, जिला सम्भल ।
2. देवेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र विजय कुमार शर्मा,
   निवासी–मौलागढ़ तह 0 चन्दौसी, जिला सम्भल ।
3. श्रीमती रचना शर्मा उर्फ मानसी शर्मा पत्नी प्रदीप कुमार,
   निवासिनी–चौबारा गजरौला, जिला अमरोहा ।
4. उ 0 प्र 0 राज्य द्वारा डी0 जी0 सी0 (क्रिमिनल), मुरादाबाद ।

..... **विपक्षीगण।**

निर्णय

दिनांकः 09.06.2026

1– प्रार्थी/आवेदक अवधेश कुमार द्वारा यह जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3 बी दिनांकित 24.05.2023 मुकदमा अपराध संख्या–414/2018, धारा–420,467,469,471,448, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद में न्यायालय विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–5, मुरादाबाद द्वारा पारित अग्रिम जमानत आदेश दिनांकित 11.05.2023, जिसमें विपक्षीगण दीनू कुमार शर्मा उर्फ दीनू, देवेन्द्र कुमार शर्मा एवं श्रीमती रचना शर्मा उर्फ मानसी शर्मा को अग्रिम जमानत प्रदान की गयी है। उक्त की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/आवेदक द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, वादी मुकदमा द्वारा एक मु0 अ 0 सं0–414/2018, धारा–420,467,469,471,448,120 बी भा०द०संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद में अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के प्रार्थी दीनू कुमार शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा, रचना शर्मा एवं उनके ग्रुप के अन्य सदस्यों के विरुद्ध कायम किया गया था। उक्त मुकदमें में चार्जशीट प्रस्तुत हो गई। उक्त विपक्षीगण के नाम पते फर्जी हैं। उक्त विपक्षीगण उक्त नाम पते पर नहीं रहते हैं। इस सम्बंध में साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उनके द्वारा आधार कार्ड भी फर्जी बनवाये गए हैं। पुलिस 3 साल से उन्हें ढूंढ रही है और वह उक्त पतों पर नहीं मिल रहे हैं, जबकि उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय से एस.एल.पी. भी दिनांक 20.1.2020 को निरस्त हो चुकी है। प्रस्तुत मुकदमा उक्त विपक्षीगण

द्वारा एक षडयंत्र के अर्न्तगत धोखाधड़ी करने और वादी मुकदमा की 100 करोड़ रुपये की कामर्शियल कीमती सम्पत्ति को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज कूटरचित करने और प्रयोग करने के सम्बंध में है। उक्त विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय के साथ भी धोखाधड़ी करते हुए, और तथ्यों को छिपाते हुए, फर्जी मुकदमा नं0–414/2022 प्रस्तुत करते हुए, जिसमें फाईनल रिपोर्ट लग चुकी है और जिससे ई–कोर्ट पर उनकी अग्रिम जमानत पकड़ में न आये, प्रस्तुत किया है। इसी आधार पर यह प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त मु०न० भी गलत दर्ज किया गया जो कभी भी सही नहीं किया गया, जिसकी सत्य प्रति प्रस्तुत की जा रही है। जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित नियमावली के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके साथ न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रति प्रस्तुत की है, न अपना आपराधिक इतिहास होने, न होने का शपथपत्र दिया है और न बिना न्यायालय की आज्ञा से विदेश न जाने के कथन किये हैं। उक्त विपक्षीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में स्वयं इस मुकदमें में चार्जशीट निरस्त करवाने/स्टे करवाने हेतु रिट 482 नम्बर–16200/2020 प्रस्तुत की है, लेकिन आज तक उन्हें कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और सारवान तथ्यों को छिपाया गया है। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके न्यायालय को भ्रमित करके अपने पक्ष में आदेश प्राप्त करने की अपनी विशेषज्ञता के अनुक्रम में ही विपक्षीगण द्वारा माननीय न्यायालय में वादी मुकदमा द्वारा विरोध करने से बचने के लिये, फर्जी तरीके से फर्जी मुकदमा नम्बर–414/2022 प्रस्तुत करके जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये और न्यायालय में उक्त मु०अ०स० से जमानत दर्ज होकर न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट नम्बर 5 महोदय मुरादाबाद के न्यायालय में स्थानान्तरित हो गई। उपरोक्त तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा उक्त अभियुक्तगण पर जो भी आरोप लगाये गये हैं और अन्वेषण अधिकारी द्वारा तत्समय जो साक्ष्य संकलित किये गये वे सही हैं, जबकि वर्तमान समय में एक अन्य मुकदमें में अभियुक्तगण के उक्त फर्जी दस्तावेज के सम्बंध में कायम किये गये मु0 अ 0 सं0–215/2020 में लेब से भी रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 प्राप्त हो चुकी है कि उक्त दस्तावेज फर्जी/कूटरचित हैं। वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा की बजरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 16.9.1961 क्रय की गई भूमि है जो निरंतर वादी मुकदमा के नाम दर्ज है तथा चकबंदी वादो, सीलिंग वादों माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तक के आदेशों में सरकार से भी सभी वाद जीतकर वादी मुकदमा का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला रहा हैं और वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है जबकि प्रार्थीगण कविता शर्मा और उसके गिरोह के सदस्य दिनांक 9.12.2013 की एक कूटरचित प्रति प्रस्तुत करके सन् 2014 में उपस्थित हुए हैं। उनके पास मूल विकयपत्र नहीं है, जिसे स्वयं जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद द्वारा स्थापित कमेटी की विस्तृत जांच के बाद दिनांक 22–5–19 द्वारा स्पष्ट कूटरचित घोषित किया गया हैं और इस सम्बंध में उनके विरुद्ध मुकदमा मु0 अ 0 सं0–215/2020 अंतर्गत धारा 467,468,471 भा०दं० संहिता थाना सिविल लाईन्स कायम कराया गया है, जिसमें उक्त दस्तावेज के कूटरचित करण की रिपोर्ट दिनांक 16.8.2022 आ चुकी हैं। उक्त विपक्षीगण सं० 1 व 3 ने अपने ग्रुप के साथ सन् 2013 में उक्त कूट रचित प्रति तैयार की और तदुपरांत फ्रांसिस उसी के ग्रुप के सदस्य हैं। पद्मसिंह, जो बरेली में रहते थे, के माध्यम से वादी मुकदमा के विक्रय पत्र 16. 09.1961 को शून्य घोषित करवाने हेतु, श्रीमती प्रेम कुंवर को बरेली की निवासी दिखाकर उनकी मृत्यु दिनांक 15.01.1957 प्रदर्शित करके दिनांक 23.8.2013 को एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। उक्त फ्रांसिस आदि ने भी कई अन्य व्यक्तियों ए माइकल आदि के कूट

रचित मृत्यु प्रमाण पत्र इसी प्रकार से बनाए थे, जबकि प्रेम कुवर ने सन 1961 में चकबंदी न्यायालय में वाद योजित किये और वकालतनामा प्रस्तुत किया और दिनांक 14.9.1961 को ही एक अन्य विक्रयपत्र भी किया और उनकी मृत्यु दिनांक 5.06.1976 को मुरादाबाद में हुई। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। उक्त प्रार्थीगण द्वारा वादी मुकदमा की संपत्ति हड़पने के लिए ही सभी फर्जी दस्तावेज बनाये गये हैं। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उक्त विपक्षीगण कदापि भी न्यायालय की कृपा के पात्र नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में पारित आदेश दिनांक 11.5.2023 निरस्त करके उक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय श्रीमान अपर जिला जज कोर्ट नम्बर 5, मुरादाबाद द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र–1824/2023 देवेन्द्र कुमार शर्मा प्रति उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अग्रिम जमानत आदेश दिनांकित 11.05.2023 निरस्त करके, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

3– प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा प्रार्थी/आवेदक व विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– उक्त मामले में विपक्षीगण संख्या–1 ता 3 की ओर से माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1824/2023 प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–5 द्वारा दिनांक 11.05.2023 को स्वीकार करते हुए विपक्षीगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित किया गया।

5– प्रार्थी/आवेदक की ओर से जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र में आधार लिये गये हैं कि विपक्षीगण द्वारा धोखाधड़ी करते हुए और तथ्यों को छिपाते हुए फर्जी मुकदमा नंबर 414/2022 प्रस्तुत करते हुए जमानत ली गयी है। विपक्षीगण चालाक व शातिर व्यक्ति हैं और फर्जी दस्तावेज बनाने, न्यायालय को गुमराह करने, न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करे के आदि हैं। विपक्षीगण द्वारा अपना आपराधिक इतिहास है। उनके जमानत पर बाहर रहने पर उसके द्वारा लगातार अपराध किये जाने के सम्भावना है। अतः उनकी अग्रिम जमानत निरस्त करने की कृपा की जावे।

6– प्रार्थी/आवेदक द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–5339/2024, श्रीमती रचना शर्मा उर्फ मानसी शर्मा बनाम उ.प्र. राज्य, अन्तर्गत धारा–438 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित आदेश दिनांकित 18.08.2025 की प्रति आदि, दाण्डिक प्रकीर्ण रिट पिटिशन नं0–3912/2023, प्रदीप कुमार एवं चार अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व चार अन्य में पारित आदेश दिनांकित 16.03.2023 की प्रति एवं पी0 आई 0 एल 0 नं0–439/2026, विकास शर्मा बनाम उ.प्र. राज्य एवं 9 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 29.05.2026 की प्रति दाखिल की गयी हैं।

7– विपक्षीगण की ओर से अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था MS. X VERSUS THE STATE OF TELANGANA AND ANR. व DOLAT RAM AND ORS. v. THE STATE OF HARYANA तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–33973/2019, अन्तर्गत धारा–438 सी.आर.पी.सी.

मोनिका माइकल एवं पाँच अन्य बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.03.2024, 16.07.2024 व स्टेटस रिपोर्ट की प्रतियां दाखिल की गयी हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था ***DOLAT RAM AND ORS. v. THE STATE OF HARYANA, (1995) 1 SCC 349*** में यह अवधारित किया है कि,

> "Rejection of a bail in a non–bailable case at the intial state and the cancellation of bail so granted, have to be considered and dealt with on different basis. Ver cogent and overwhelming circumstances are necessary for an order directing the cancellation of the bail, already granted. Generally speaking, the grounds for cancellation of the bail, already granted, broadly (illustrative and not exhaustive) are: interference or attempt to interfere with the due course of administration of justice or evasion of attempt to evade the due course of justice or abuse of the concession granted to the accused in any manner. The satisfaction of the court, on the basis of material placed on the record of the possibility of the accused absconding is yet another reason justifying the camellation of bail. However, bail once granted should not be cancelled in a mechanical manner without considering whether any supervening circumstances have rendered it no longer conducive to a fair trial to allow the accused to retain his freedom by enjoying the concession of bail during the trial."

न्यायालय विशेश न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–5, मुरादाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 11.05.2023 के माध्यम से विपक्षीगण संख्या–1 ता 3 को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी–

> अतः संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, जैसे ही प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाये अथवा उनके द्वारा न्यायालय में आत्म–समर्पण करने की स्थिति में, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०–50,000/–रू० के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगण बंधपत्र प्रस्तुत करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर दोड़ दिया जाये।
>
> 2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

3– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
4– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा नियत की गयी प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता द्वारा उपस्थित रहेंगे।

(8)– प्रार्थी अवधेश कुमार द्वारा विपक्षीगण दीनू कुमार शर्मा उर्फ दीनू, देवेन्द्र कुमार शर्मा व श्रीमती रचना शर्मा उर्फ मानसी शर्मा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना तो की गयी है, परन्तु उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 11.05.2023 में अग्रिम जमानत स्वीकार किये जाने की शर्तों में से किस शर्त का उल्लंघन किया गया है तथा न ही किसी शर्त के उल्लंघन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अपितु प्रार्थना पत्र में उसके द्वारा लिये गये आधारों के द्वारा यही स्पष्ट लिये जाने का प्रयास किया गया है कि विपक्षीगण द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत तरीके से अग्रिम जमानत प्राप्त की गयी है। चूंकि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र गैंगस्टर न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर–5, मुरादाबाद द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय जमानत निरस्त किये जाने के लिए केवल उन्हीं आधारों पर विचार कर सकती है जिनमें विपक्षीगण द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, न कि जमानत स्वीकार किये जाने के आदेश के गुण–दोष पर। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि–व्यवस्था के अनुसार प्रारम्भ में जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने तथा जमानत दिये जाने के बाद जमानत निरस्त किये जाने के लिए मापदण्ड अलग–अलग हैं। इस प्रकार प्रार्थी यह सिद्ध कर पाने विफल रहा है कि विपक्षीगण द्वारा आदेश दिनांकित 11.05.2023 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/आवेदक अवधेश कुमार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या–3 बी दिनांकित 24.05.2023 निरस्त किया जाता है तथा जमानत आदेश दिनांकित 11.05.2023 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 09.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।